छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा सप्तम सत्र अंक-03

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2016

(फाल्गुन 14, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 43 तारांकित एवं 64 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 5 एवं 8 पर चर्चा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने -

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि के लिए) एवं पालन प्रतिवेदन,

(2) छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का सरंक्षण अधिनियम, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-35/2015/स्था./चार, दिनांक 18 सितम्बर, 2015 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का सरंक्षण नियम, 2015,

(3) कम्पनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार सी0एम0डी0सी0, आई0सी0पी0एल0 कोल लिमिटेड का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14,

(4) कम्पनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सोन्डिहा कोल कम्पनी लिमिटेड (सी.एम.डी.सी. एवं लूमेन इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, तथा

(5) श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 15-4/15-2/2016/1, दिनांक 22 जनवरी, 2016 **पटल पर रखे।**

4. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा बस्तर में नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों की हत्या की जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने पोलावरम परियोजना के संबंध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी की स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया गया है इसलिए इस विषय पर किसी अन्य विषय पर चर्चा करायेंगे।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुन: नक्सली घटना के संबंध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि हम सबको मालूम है कि राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। यह बजट सत्र है जिसमें समस्त बातें रखने का पर्याप्त अवसर होगा। नक्सली घटनाओं पर अनेकों अवसरों पर भिन्न-भिन्न माध्यमों से सदन में चर्चा हो चुकी है यह विषय स्थगन के माध्यम से स्वीकार योग्य नहीं है। मैंने इसे अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.21 बजे स्थगित की जाकर 12.41 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

5.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री पी.ए. संगमा, लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

मुख्यमंत्री-डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष-श्री टी.एस.सिंहदेव, श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 12.52 बजे स्थगित होकर 1.03 बजे पुन: प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा पुन: स्थगन ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

श्री सत्यानारायण शर्मा, सदस्य ने वक्तव्य की मांग की।

6. वक्तव्य

श्री अजय चंद्राकर, गृह मंत्री ने नक्सली घटना के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

7. बहिर्गमन

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने बहिर्गमन किया ।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल, सदस्य (अनुपस्थित)

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने स्कूल शिक्षा विभाग में व्याप्त अनियमितता की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक कार्यवाही निरंतर चलने की घोषणा की)

9. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) आज सभा की कार्यवाही सायं 7.00 बजे तक चलेगी । तदनुसार अशासकीय कार्य समिति द्वारा निर्धारित समय के अनुसार अशासकीय कार्य सायं 5.00 बजे से लिया जायेगा । मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

(2) आज भोजन अवकाश होने के तत्काल पश्चात् विधानसभा के मुख्य द्वार के पास माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष विधानसभा द्वारा पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु नि:शुल्क पुस्तक वितरण योजना का शुभारंभ करेंगे । समस्त सदस्यों से उपस्थिति का अनुरोध है ।

(1.33 से 3.04 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

10. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री संतोष बाफना
(2) श्री टी.एस.सिंहदेव
(3) श्री मोतीलाल देवांगन
(4) डॉ. विमल चोपड़ा
(5) श्री अरूण वोरा

11. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष की उपस्थिति तक राज्यपाल महोदय के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित रखी जाय।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

12. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- माननीय मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने मेरा ध्यान प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति की ओर आकर्षित किया है।

मैंने सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया प्रतिपक्ष ने भोजन अवकाश के पूर्व walk out किया था। बहिष्कार जैसी कोई बात रिकार्ड में नहीं है। अत: मैंने नेता प्रतिपक्ष से स्थिति ज्ञात की। उन्होंने बताया कि आज की कार्यवाही से प्रतिपक्ष ने बहिष्कार किया है।

इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में चर्चा हो में इसे संसदीय परंपरा के लिए उचित नहीं समझता और प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूं कि बजट सत्र में निर्धारित कार्य को संपादित करने में सहयोग करें।

मैं आज धन्यवाद ज्ञापन चर्चा को इस अपेक्षा के साथ स्थगित करता हूं कि प्रतिपक्ष अब सभा की कार्यवाही के संपादन में पूर्ण सहयोग करेगा।

आज के लिए निर्धारित अशासकीय कार्य मैं आगामी शुक्रवार के लिए निर्धारित करता हूं।

अपराह्न 3.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 08 मार्च, 2016 (फाल्गुन-18, शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा